



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1943 (श10)
(सं0 पटना 920) पटना, मंगलवार, 16 नवम्बर 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2021

सं० 06/CMT (वि0प0) निवेदन-38/2013/7048—मोटरयान अधिनियम, 1988—सहपठित—मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-56 के परन्तुक, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली-1989 के नियम 62 से 72 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-652(अ) दिनांक-23.09.2021 के अध्याय-11 के अंतर्गत स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Testing Station) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण से संबंधित नियमों के अन्तर्गत अधिकारों एवं कृत्यों के सम्पादन के लिए राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को “रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण” (Registering Authority) नियुक्त किया जाता है।

2. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना सं०-651, दिनांक-16.02.2002 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा एवं इससे संबंधित पूर्व की कोई अधिसूचना/आदेश इस अधिसूचना के निर्गमन के तिथि से निरस्त समझी जायेगी।

आदेश से,
ह० अस्पष्ट,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 920-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>